खंड 6 अंक 10 मई - 2024

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

अप्रैल केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के लिए एक विशेष महीना है क्योंकि हम इस महीने अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस वर्ष, हमने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया जिसमें सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा व्यावहारिक सत्र प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आयोग की शानदार यात्रा के बारे में बताया, समय के साथ इसके निरंतर विकास और महत्वपूर्ण सुधारों पर जोर दिया। उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं।

माह के दौरान, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईई डब्ल्यू पी), चरण III पर केंद्रित थी। चरण II के सफल समापन के बाद, चरण III 1 मार्च 2024 को शुरू हुआ। नदी बेसिन प्रबंधन (तापी और रामगंगा बेसिन), ई-प्रवाह, जल उपयोग दक्षता और उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर काम जारी रखने के अलावा, चरण III के लिए दो नई गतिविधियों की पहचान की गई: शहरी बाढ़ और जल विज्ञान मापदंडों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

मेरी अध्यक्षता में होने वाली दूसरी बैठक थी स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की संचालन समिति की बैठक। इस बैठक के दौरान, हमने सीओई और इसकी संचालन समिति की स्थापना की पृष्ठभूमि और कार्यों का एक सिंहावलोकन प्रदान किया। डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने सीओई की गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

इसके अतिरिक्त, पुणे में के.ज.आ. की राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) ने "जल संसाधन विकास और प्रबंधन- मुद्दे और चुनौतियां" शीर्षक से दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) पहल के तहत आयोजित यह कार्यक्रम नेपाल सरकार के अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया था और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा इसे सुगम बनाया गया था।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54(2) के तहत नियमों के संबंध में एक और बैठक 24.04.2024 को आयोजित की गई। अप्रैल 2024 तक इन 19 में से 17 विनियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अनुमोदित किया जा चुका है। सभी 17 नियमों को राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं को सुव्यवस्थित और तेज करने के हमारे समर्पित प्रयासों को जारी रखते हुए, इस महीने 11 राज्यों की 32 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन्हें समय पर पूरा करने के लिए प्रत्येक मामले में आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

मैंने पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की तीसरी बैठक की भी अध्यक्षता की। इस बैठक में आपसी समझ को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के हितधारकों को एक साथ लाया गया। राज्यों से बाकी डेटा उपलब्ध कराने को कहा गया. परियोजना स्थलों का संयुक्त दौरा करने का भी सुझाव दिया गया।

जलशक्ति मंत्रालय के जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति की 22वीं बैठक भी इसी महीने नई दिल्ली में सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, एमओजेएस की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम की छह परियोजनाओं को निवेश मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया।

मैंने सहायक निदेशक-II, सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी अभियंता और उपनिदेशक/कार्यकारी अभियंताओं के साथ क्रमशः 19, 23 और 26 अप्रैल, 2024 को हाइब्रिड मोड में एक परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया। अधिकारियों ने के.ज.आ. की कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए।

उन्हें के.ज.आ. में नवीनतम विकास, कैरियर प्रगति, क्षमता निर्माण पहल और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई और आधुनिक सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। कुछ अत्यंत उपयोगी सुझावों पर कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)/टीसी 113 और इसकी उपसमितियों की 32वीं पूर्ण बैठक

हुई, जिसमें 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईएसओ वैश्विक विशेषज्ञों को तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने बांधों, सिंचाई और अन्य जल संसाधन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईएसओ के तहत जल संसाधनों पर एक नई समिति स्थापित करने का सुझाव दिया।

विषयसूची

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

- स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की संचालन समिति की पहली बैठक
- भारत यूरोपीय संघ जल भागीदारी (IEWP)

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

- लखवार परियोजना एवं रेणुकाजी परियोजना
- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार एवं झारखण्ड

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

- "जल संसाधन विकास और प्रबंधन-मुद्दे व चुनौतियाँ" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) पर अनुकूलन कार्यक्रम(ओरिएंटेशन प्रोग्राम)/कार्यशाला

एनडीएसए और डीआरआईपी

- बांध सुरक्षा सोसायटी के संबंध में चर्चा
- एनसीडीएस की 5वीं बैठक- ड्राफ्ट विनियमन को अंतिम रूप देना
- आईसीईडी, आईआईटी रूड़की की कार्यकारी समिति की बैठक
- डीआरआईपी चरण II और III के तहत सीडब्ल्यूपीआरएस की क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव के संबंध में बैठक

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

बाढ़ से संबंधित मामले

- हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की तीसरी बैठक

II. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

III. अंतर्राज्यीय विवाद

- पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की तीसरी बैठक

IV. अन्य गतिविधियाँ

- सी-डैक, पुणे के अधिकारियों के साथ बैठक
- डिजाइन बनाते समय हिमनद झील विस्फोट जनित बाढ़ के प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए दिशा-निर्देशों पर चर्चा
- जीएलओएफ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों पर दिशानिर्देश
- 2024-25 के लिए पहला त्रैमासिक संवाद
- निवेश मंजूरी समिति की 22वीं बैठक
- आईएसओ/टीसी 113 और इसकी उपसमितियों की 32वीं पूर्ण बैठक
- जलाशय निगरानी
- के.ज.आ. का 79वां स्थापना दिवस

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की संचालन समिति की पहली बैठक

स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की संचालन समिति की पहली बैठक 26.04.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

बैठक में डेनमार्क के प्रतिनिधियों नामत: श्रीमान मार्टिन एग्नुड पीटरसन, मिशन के उप प्रमुख; श्रीमान कैस्पर मेयलैंड, पर्यावरण परामर्शदाता; श्री निकोलाई मंज़ियस, डेनमार्क दूतावास, नई दिल्ली के राजनीतिक कनिष्ठ सहयोगी, श्री ओलुफ़ ज़िलुंड जेसेन, उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकास; श्री रेड्डी नेमालिडिन, तकनीकी निदेशक; श्री श्रेष्ठ तायल, जल संसाधन प्रमुख, डीएचआई ने भाग लिया। ।

के.ज.आ. से, सदस्य (आरएम), सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), मुख्य अभियंता (एचएसओ); मुख्य अभियंता (पी एंड डीओ); मुख्य अभियंता (एफएमओ), मुख्य अभियंता (आईएमओ); निदेशक (हैड. एनई डीटीई.); निदेशक (आकृति विज्ञान एवं सीसी निदेशालय); निदेशक (एफसीए-2 निदेशालय) ने बैठक में भाग लिया।

अन्य प्रतिभागियों में सदस्य सीजीडब्ल्यूबी, निदेशक (आईसी), जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , डॉ. फिलिप ग्राइंडर पेडर्सन, मुख्य सलाहकार, प्रबंधन और संचार, डीईपीए और श्री किम वियम ओलेसेन, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डीएचआई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए हैं।

के.ज.आ. ने सीओई की अवधारणा और सीओई की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संचालन समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने उत्कृष्टता केंद्र पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये।

विस्तृत चर्चा के बाद, सीओई और 1 साल के कार्यक्रम के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया।

भारत यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी)

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) के चल रहे चरण-III पर चर्चा करने के लिए भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ 12.04.2024 को बैठक की।

बैठक में के.ज.आ., जीआईजेड-इंडिया और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें श्री फ्रेंक विआल्ट (मंत्री परामर्शदाता), प्रमुख सहकारिता और श्री माइकल बकी (परामर्शदाता), अनुभाग प्रमुख, सतत आधुनिकीकरण, सहित अन्य शामिल थे।

आईईडब्ल्यूपी ने हाल ही में अपना चरण- II पूरा किया है और चरण- III 01.03.2024 से शुरू हुआ तथा बैठक के दौरान चरण- III के लिए कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त नदी बेसिन प्रबंधन (तापी और रामगंगा बेसिन), ई-प्रवाह, जल उपयोग दक्षता और उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर काम जारी रखने के साथ, चरण III के लिए दो नई गतिविधियों की पहचान की गई: शहरी बाढ़ तथा जल विज्ञान मापदंडों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी कई एजेंसियां हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं और यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक एजेंसी वैकल्पिक भूमिका के बजाय पूरक भूमिका निभाए ताकि परिणाम तेज और इष्टतम हों। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने आगे उल्लेख किया कि के.ज.आ. ने जल संसाधन क्षेत्र में बड़ी विशेषज्ञता हासिल कर ली है और उन देशों के साथ इसे साझा करने के लिए तैयार है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

क्षमता निर्माण घटक के महत्व पर भी चर्चा की गई जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि फोकस को एक्सपोजर-स्तर के प्रशिक्षण से हार्ड-कोर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

लखवार परियोजना एवं रेणुकाजी परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड की प्रगति की समीक्षा के लिए 23.04.2024 को बैठक की अध्यक्षता की। डिजाइन पहलुओं, लखवार एमपीपी पर वायसाई जलाशय के प्रभाव के मुद्दे और समयसीमा के साथ परियोजनाओं के प्रमुख घटकों की ड्राइंग की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) इकाई के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार एवं झारखण्ड

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 35वीं बैठक 16.04.2024 को के.ज.आ., नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ. मुख्यालय और फील्ड इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण एजेंडा मदों जैसे डब्ल्यूआरडी बिहार/झारखंड द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, दायीं मुख्य नहर, झारखंड के वितरण नेटवर्क (12 माइनर) के मृदा कार्य, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए निविदा की स्थिति, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के तहत बिहार भाग (आरडी 68.37 से 109.09 किमी) और इसकी संरचनाओं में आरएमसी के काम के लिए निविदा की स्थिति, वैपकोस द्वारा प्रस्तुत चालान और आरएमसी से बिजली के खंभों की शिफ्टिंग की स्थिति आदि पर चर्चा हुई।

इसके अलावा, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की प्रगति की समीक्षा के लिए 18.04.2024 को सचिव, डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की गई थी। आरंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागियों के परिचय के दौर के बाद, वैपकोस/राज्यों से परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने से संबंधित गतिविधियों के बारे में समिति को अद्यतन करने का अनुरोध किया गया।

बांध स्थल पर एकमुश्त विशेष आर एंड आर पैकेज के भुगतान की स्थिति, झारखंड और बिहार राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति और मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय) की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर चर्चा हुई।

पोलावरम सिंचाई परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने "पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के डिजाइन और निष्पादन के मूल्यांकन और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की सिफारिश हेतु बनाई गई समिति की 25.04.2024 को तीसरी बैठक की अध्यक्षता की"। बैठक में मुख्य अभियंता, डिज़ाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) के साथ-साथ उप निदेशक, एम्बेसी (एनडब्ल्यू एंड एस) के.ज.आ., निदेशक सीएसएमआरएस, सीईओ पीपीए, सदस्य सचिव पीपीए और विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने भाग लिया। समिति की तीसरी बैठक 25.04.2024 को प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ हुई तकनीकी चर्चा के परिणाम पर बातचीत करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

"Thousands have lived without love, not one without water."

W.H. AUDEN

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

"जल संसाधन विकास और प्रबंधन-मुद्दे व चुनौतियाँ" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने "जल संसाधन विकास और प्रबंधन - मुद्दे और चुनौतियां" पर दो सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन (वीसी के माध्यम से) किया जो 15 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत नेपाल सरकार के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), के.ज.आ., पुणे द्वारा आयोजित किया गया।

अपने उद्घाटन भाषण में, के.ज.आ. के अध्यक्ष, श्री कुशविंदर वोहरा ने साझा नदी घाटियों और परस्पर जल प्रणालियों के प्रबंधन में भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को रेखांकित किया। ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए, उन्होंने बाढ़, बाढ़ प्रबंधन और जलविद्युत उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित मजबूत त्रिस्तरीय तंत्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र में सतत विकास और क्षमता निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता के महत्व पर भी जोर दिया। अध्यक्ष ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की, जिसका लक्ष्य अधिकारियों को टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) पर अनुकूलन कार्यक्रम(ओरिएंटेशन प्रोग्राम)/कार्यशाला

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल)पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम/कार्यशाला की बैठक में भाग लिया जो जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और इसके संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों को इन तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों की अवधारणाओं, अनुप्रयोग, और निहितार्थ से परिचित कराने के लिए वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से 22.04.2024 को डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में, सचिव, जल संसाधन, आरडी एवं जीआर ने वाधवानी फाउंडेशन के सीईओ और अन्य अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। संदर्भ स्थापित करते हुए, सचिव (डब्ल्यूआर) ने कहा कि यद्यपि जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के संगठनों में तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमानित मॉडलिंग, जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डेटा इत्यादि में लगे हुए हैं। तथापि, जेनरेटिव एआई, ड्रोन तकनीक, डेटा इनसाइट्स आदि सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकों से खुद को अपडेट रखना उचित है क्योंकि यह फील्ड कार्यालयों के आधुनिकीकरण और जल संसाधन प्रबंधन में दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

एनडीएसए और डीआरआईपी

एनसीडीएस की 5वीं बैठक- ड्राफ्ट विनियमन को अंतिम रूप देना

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव और अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) ने 24 अप्रैल, 2024 को एनसीडीएस की पांचवीं बैठक की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के तहत तैयार किए गए मसौदा विनियमन 54(2)(एफ) "धारा 26 की उप-धारा (5) के तहत बांध निर्माण के उद्देश्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों" पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के बाद समिति ने उक्त नियमावली को मंजूरी दे दी।

बांध सुरक्षा सोसायटी के संबंध में चर्चा

के.ज.आ. को 18-19 जुलाई 2024 को केवडिया, गुजरात में बांध सुरक्षा:अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2024 में ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल होने और उसमें हिस्सा लेने के संबंध में 23.04.2024 को चर्चा आयोजित की गई:, इससे पहले 16-17 जुलाई 2024 को उसी स्थान पर भूकंपीय उपकरण सहित बांधों के उपकरण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम बांध सुरक्षा सोसायटी द्वारा सरदार सरोवर नर्मदा निगम और जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। के.ज.आ. में निपटाए जा रहे बांध सुरक्षा मुद्दों के विषय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि के.ज.आ. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: बांध सुरक्षा-2024 में ज्ञान भागीदारके रूप में शामिल होगा।

आईसीईडी, आईआईटी रूड़की की कार्यकारी समिति की बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने आईसीईडी की अनिवार्य अनुसंधान गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया और उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहा। आईसीईडी, आईआईटी रूड़की की कार्यकारी समिति की यह बैठक 04 अप्रैल 2024 को श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. और प्रोफेसर के.के.पंत, निदेशक, आईआईटी रूड़की की संयुक्त अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी), जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने आईसीईडी के डिलिवरेबल्स में तेजी लाने और उसे समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दौरान, समिति ने 16.01.2024 को आयोजित पिछली सलाहकार बोर्ड समिति की बैठक के बाद से की गई कार्रवाई रिपोर्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकाय की नियुक्ति और अनुसंधान अध्ययनों के लिए बांधों को अंतिम रूप देने आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

डीआरआईपी चरण II और III के तहत सीडब्ल्यूपीआरएस की क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव के संबंध में बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 160.19 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता के साथ 10 वर्षों (2024-2033) की अवधि के लिए डीआरआईपी चरण-II और III के तहत सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 24.04.2024 को बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, प्रस्तावित गतिविधियों, डिलिवरेबल्स और अन्य प्रासंगिक पहलुओं के संबंध में निदेशक सीडब्ल्यूपीआरएस के साथ चर्चा हुई और एक प्रस्तुति दी। प्रस्ताव में मुख्य रूप से मशीनरी, उपकरण और सॉफ्टवेयर की खरीद; भूकंप विज्ञान और बांध सुरक्षा में सीओई की स्थापना; उच्च शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना; सुरक्षा क्षेत्रों में क्षमता विकास और पायलट अध्ययन शामिल है। प्रस्ताव विचार के लिए जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के विषय वस्तु प्रभाग को प्रस्तुत किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

I. बाढ़ से संबंधित मामले

हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच में यमुना नदी के विस्तार के लिए संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन समिति की तीसरी बैठक

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 25.04.2024 को हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच में यमुना नदी के विस्तार के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए गठित समिति की तीसरी बैठक आयोजित की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सरकार, डीडीए, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, यूवाईआरबी, दिल्ली जल बोर्ड आदि के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में, यमुना के बाढ़ प्रबंधन पहलुओं जैसे बैराजों के संचालन, नदी विस्तार का हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन, यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में निरूपक वर्षा विश्लेषण, नदी की वहन क्षमता, एनसीटी दिल्ली में जल निकासी की समस्या के मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना/डेटा के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कहा कि उपलब्ध सूचना के आधार पर समिति की मसौदा रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार की जाएगी और सभी हितधारकों के साथ साझा की जाएगी।

*II.*पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम

जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 2016-2017 में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम में शामिल की गई 99 प्राथमिकता वाली चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने महीने में कई बैठकें कीं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन परियोजनाओं को अनुमोदित

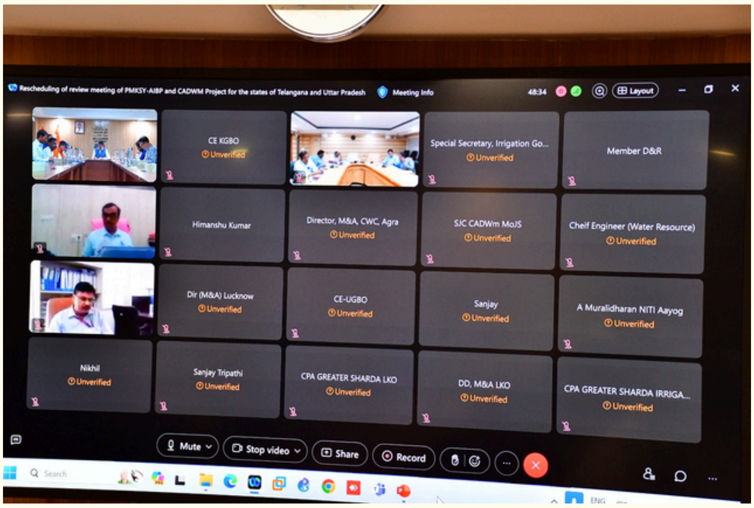

लागत के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और बाधाओं सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि, इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की कुलसंख्या	परियोजनाओं का नाम
1.	तेलंगाना	तीन	i) जे. चोखा राव एलआईएस ii) राजीव भीम एल आईएस iii) एसआरएसपी चरण- II परियोजना
2.	उत्तर प्रदेश	एक	i) अर्जुन सहायक परियोजना
3.	मध्य प्रदेश	तीन	i) बरगी डायवर्सन परियोजनाएँ-II ii) बरगी डायवर्सन परियोजनाएँ – III iii) बरगी डायवर्सन परियोजनाएँ – IV
4.	असम	दो	i) धनसिरी सिंचाई परियोजना ii) चम्पामती सिंचाई परियोजना
5.	मणिपुर	एक	i) दोलैथाबी बैराज परियोजना
6.	पंजाब	एक	i) कोटला शाखा भाग-II परियोजना
7.	राजस्थान	दो	i) गंग नहर चरण-II परियोजना का मॉड ii) नर्मदा नहर परियोजना
8.	जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	दो	i) त्राल/ग्राल लिफ्ट सिंचाई योजना
9.	महाराष्ट्र	सात	i) बावनथडी [आईएस] परियोजना ii) गडनाडी परियोजना iii) खड़कपूर्ण परियोजना iv) कृष्णा कोयाना लिफ्ट परियोजना v) लोअर दुधना परियोजना vi) नंदूरमध्मेश्वर Ph-II vii) ऊपरी कुंडलिका परियोजना
10.	छत्तीसगढ	दो	i) खारुंग (ईआरएम) परियोजना ii) मनियारी टैंक (ईआरएम) परियोजना
11.	गोवा	एक	i) तिलारी (आईएस) परियोजना

III. अंतर्राज्यीय विवाद

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की तीसरी बैठक

पेन्नैयार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति की तीसरी बैठक 22.04.2024 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक में चार सह-बेसिन राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ.; मुख्य अभियंता, एचएसओ; सदस्य सचिव के रूप में मुख्य अभियंता, आईएमओ के अलावा, केंद्रीय जल आयोग से जल विज्ञान-दक्षिण निदेशालय और आईएसएम-1 निदेशालय के निदेशक भी उपस्थित थे।

सह-बेसिन राज्यों के प्रतिनिधियों और समिति के अन्य सदस्यों ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के मुद्दे पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये। दूसरी बैठक में निर्णय पर विस्तार से चर्चा की गई और दोनों राज्यों से दूसरी बैठक में मांगी गई शेष जानकारी/विवरण और दूसरी बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त विवरण/स्पष्टीकरण या विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। समिति के अध्यक्ष ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बेसिन राज्यों विशेषकर कर्नाटक राज्य से डेटा की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जिसमें बेसिन राज्य 10 दिनों के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए थे। अध्यक्ष ने पेन्नैयार बेसिन में परियोजना स्थलों का संयुक्त दौरा करने का सुझाव दिया और कर्नाटक राज्य से इसके लिए उचित समय बताने का अनुरोध किया। चेयरमैन ने एक सप्ताह के अंदर वीसी करने का भी सुझाव दिया। अगली बैठक एक पखवाड़े के अंदर करने का निर्णय लिया गया।

IV. अन्य गतिविधियाँ

सी-डैक, पुणे के अधिकारियों के साथ बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने महानदी बेसिन के लिए विकसित बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 19.04.2024 को श्री मनोज खरे, वैज्ञानिक-जी, सी-डैक पुणे

और सी-डैक पुणे के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में के.ज.आ. मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सीडीएसी की टीम ने महानदी बेसिन के लिए विकसित बाढ़ की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली के समाधान पर एक प्रस्तुति दी। सी-डैक टीम द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर व्यापक चर्चा हुई। उपलब्ध डेटा उत्पादों की सीमाओं पर भी चर्चा की गई। सी-डैक टीम द्वारा प्रस्तुत परिणामों पर अवलोकन मूल्यों के साथ चर्चा भी की गई।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने पाया कि सिस्टम को सत्यापन की आवश्यकता है। उन्होंने सी-डैक टीम से सत्यापन के लिए के.ज.आ. को एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि एक बार मॉडल को के.ज.आ. क्षेत्र/राज्य सरकार से इनपुट के साथ मिलाकर देख लिया जाए और महानदी बेसिन पर इसका परीक्षण तथा पुष्टि हो जाए, तो मॉडल को अन्य बेसिनों में भी मल्टी-मॉडल दृष्टिकोण के रूप में अपनाया जा सकता है।

डिजाइन बनाते समय हिमनद झील विस्फोट जनित बाढ़ के प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए दिशा-निर्देशों पर चर्चा

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. ने 15.04.2024 को "भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जीएलओएफ विशिष्ट नदी घाटी परियोजनाओं के आकलन के लिए मसौदा दिशानिर्देश" पर के.ज.आ. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में डिजाइन में जीएलओएफ पर विचार के लिए दिशा-निर्देशों पर चर्चा हुई। बैठक में के.ज.आ. के सदस्य (आरएम) ने भी भाग लिया। हुई चर्चाओं के आधार पर एफईएंडएसए निदेशालय द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

हिमनद झील के विस्फोट से आई बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों पर दिशानिर्देश

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने जीएलओएफ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों पर दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एनई) जीएलओएफ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के निर्माण के लिए गठित समिति के सदस्य सचिव हैं।

2024-25 के लिए पहला त्रैमासिक संवाद

कर्नाटक

प्रबोधन (दक्षिण) संगठन, के.ज.आ., बेंगलुरु ने 23.04.2024 को कर्नाटक राज्य, एनआईओ, एनआईओटी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीजीडब्ल्यूबी के साथ "तटीय क्षेत्र प्रबंधन" विषय पर 2024-25 के लिए पहली त्रैमासिक वार्ता आयोजित की। यह संवाद बेंगलुरु के विकास सौधा में आयोजित किया गया था।

गुजरात और महाराष्ट्र

तटीय क्षेत्र प्रबंधन विषय पर गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन संबंधित विभागों और तटीय प्रबंधन संस्थानों/एजेंसियों के साथ 25.04.2024 को श्री के.ए.पटेल, सचिव, जलसंसाधन विभाग, गुजरात सरकार और श्री डी.एस.चस्कर, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में पहली त्रैमासिक वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड, सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गांधीनगर, एनआईओ गोवा, एनआईओटी चेन्नई, एनसीसीआर चेन्नई, एमएमबी मुंबई, जीएमबी गांधीनगर और केंद्रीय जल आयोग के अलावा, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, गुजरात जल संसाधन विकास निगम (भूजल संबंधी) आदि के अधिकारी/कर्मचारी इसमें उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में केंद्रीय जल आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के विषय पर केंद्रीय जल आयोग की भविष्य की योजना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद तटीय क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन के विषय पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे द्वारा स्थापित कार्य स्थलों के बारे में तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गईसभी विभागों ने इन तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत की और सभी हितधारकों द्वारा इसकी बहुत सराहना की गई और आपसी सहयोग के इस प्रयास को जारी रखने के सुझाव दिए गए।

आईएसओ/टीसी 113 और इसकी उपसमितियों की 32वीं पूर्ण बैठक

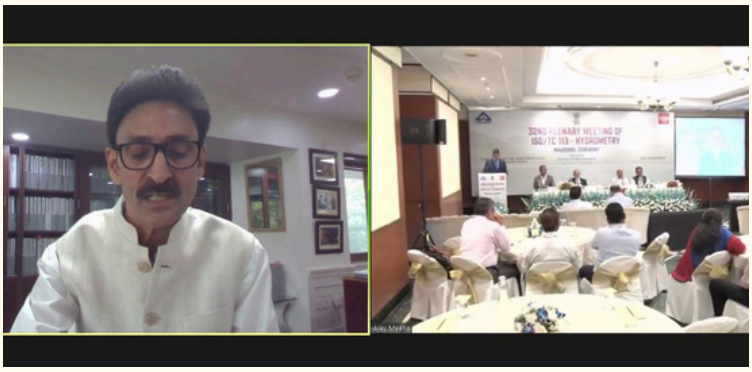

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 22.04.2024 को आईएसओ/टीसी 113 और इसकी उपसमितियों की 32वीं पूर्ण बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठन है जो सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। आईएसओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां दुनिया भर के सभी विशेषज्ञों को तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के समान अवसर दिए जाते हैं। हाइड्रोमेट्री पर आईएसओ/टीसी 113 की अध्यक्षता 2 दशकों से अधिक समय से केंद्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यूसी) के नेतृत्व में की गई है।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अपने संबोधन में जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन में हाइड्रोलॉजिकल डेटा के महत्व और इस क्षेत्र में के.ज.आ. के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे, उभरते क्षेत्रों जैसे शहरी बाढ़ एवं मानकीकरण के लिए जीएलओएफ आदि के महत्व के बारे में भी उल्लेख किया और बताया कि के.ज.आ. ने निदेशक स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में विशेषत: शहरी बाढ़ और डिजाइन मानकों के लिए समर्पित निदेशालय स्थापित किए हैं।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने आईएसओ के तहत जल संसाधनों पर एक नई समिति गठित करने का सुझाव दिया जो बांध, सिंचाई और अन्य जल संसाधन क्षेत्रों से संबंधित सभी मामलों से निपटती है।

निवेश मंजूरी समिति की 22वीं बैठक

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की निवेश मंजूरी समिति की 22वीं बैठक 23.04.2024 को सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, एमओजेएस की अध्यक्षता में श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में निवेश मंजूरी के लिए कुल 6 (छह) परियोजनाओं की सिफारिश की गई। परियोजनाओं का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	लागत करोड़ रुपये में	राज्य	श्रेणी	लाभ (सीसीए)
1	निचली तापी सिंचाई परियोजना, चरण-I	दिसंबर 2023 के मूल्य स्तर पर 2,888.48 करोड़ रुपये	महाराष्ट्र	वृहत् , सिंचाई	25657 हेक्टे
2	अमरेंग सिंचाई परियोजना (मध्यम), केएएसी, असम	704.29 करोड़ रुपये (2023-24 मूल्य स्तर पर)	असम	मध्यम सिंचाई	6800 हेक्टे.
3	कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना की आरसीई	2022-23 के मूल्य स्तर पर 6,282.32 करोड़ रुपये	बिहार	वृहत्, सिंचाई	2.15 लाख हेक्टे.
4	शाहपुरकंडी बांध परियोजना की तीसरी आरसीई	अक्टूबर 2022 के मूल्य स्तर पर 3394.49 करोड़ रुपये	पंजाब	बहुउद्देशीय	37173 हेक्टे.
5	उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले में मौजूदा बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और सुधार	2023 के मूल्य स्तर पर 496.70 करोड़ रुपये	पश्चिम बंगाल	बाढ़ , (वृहत्)	586146 हेक्टे.
6	दंबुक उपखंड के अंतर्गत दिबांग नदी बेसिन में कटावरोधी कार्य	2023 मूल्य स्तर पर 144.64 करोड़ रुपये	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ , (वृहत्)	लगभग 2645 हेक्टे.

VI. जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रही है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित 257.812 बीसीएम की संग्रहण क्षमता का लगभग 69.35% है।

दिनांक 25.04.2024 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 53.358 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 30% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 64.775 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 55.523 बीसीएम था। इस प्रकार, 25.04.2024 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 82% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 96% है।

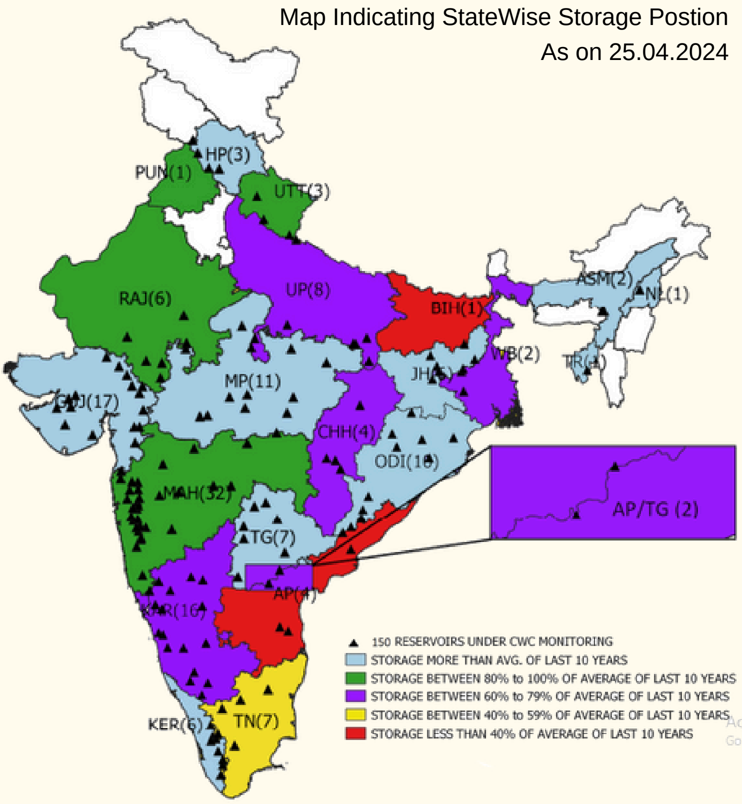

"नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध साप्ताहिक जलाशय बुलेटिन देखें:"

https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin

के.ज.आ. का 79वां स्थापना दिवस

के.ज.आ. ने 14.04.2024 को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें डॉ.बी.आर.अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई, जो एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने वर्तमान के.ज.आ. की स्थापना और संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थापना दिवस का विषय था: "1945 से राष्ट्र की सेवा में के.ज.आ. - जल सुरक्षित भविष्य के लिए नींव का निर्माण"

इस कार्यक्रम को मनाने के लिए के.ज.आ. मुख्यालय, दिल्ली में भव्य समारोह आयोजित किए गए। सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।के.ज.आ. के कुछ पूर्व अध्यक्षों सहित संगठनों और के.ज.आ. क्षेत्र संगठनों के मुख्य इंजीनियरों ने इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे बिहार, महाराष्ट्र, विश्व बैंक, एडीबी, डेनमार्क दूतावास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रूड़की, एमएनआईटी, जयपुर, बीबीएमबी, सीईए आदि के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वीडियो संदेशों के माध्यम से के.ज.आ. के साथ सहयोग के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

कार्यक्रम में देश के जल क्षेत्र में के.ज.आ. की विभिन्न शाखाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूमिका और योगदान पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुतियां दीं। अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा सुश्री लोवी अग्रवाल (उप निदेशक) को "फ्लड वॉच इंडिया" मोबाइल ऐप के इन-हाउस विकास में उनके योगदान के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया, जो जनता के बीच बाढ़ से संबंधित जानकारी के प्रसार में एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है।

के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने अपने संबोधन में के.ज.आ. के भविष्य के दृष्टिकोण और जल क्षेत्र में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले एक वर्ष में शुरू की गई गतिविधियों को प्रस्तुत किया। इन पहलों में जल संसाधन के क्षेत्र में नई उभरती चुनौतियों के मद्देनजर वर्तमान जरूरतों के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है। उन्होंने के.ज.आ. द्वारा किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हासिल हुई है।

सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) ने अपने संबोधन में देश के जल क्षेत्र में के.ज.आ. द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार किया और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में की गई पहल की भी सराहना की। उन्होंने जल क्षेत्र में के.ज.आ. की भूमिका को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ कुछ सुझाव भी दिए।

एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जहां के.ज.आ. अधिकारियों और कर्मचारियों ने पानी से संबंधित विषयों पर नृत्य प्रदर्शन, गीत, नाटक और कविताओं के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियों के लिए के.ज.आ. कर्मचारियों के बच्चों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री पदमा दोर्जे, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in